

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी)

प्रलिस के लयल:

चुनाव आयोग, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनप्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951 ।

मेन्स के लयल:

जनप्रतनिधित्त्व अधनियम का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया, जो "अस्त्विवहीन" पाए गए और तीन दलों को "गंभीर वत्तीय अनयमत्तता" के लयल कानूनी कार्रवाई हेतु राजस्व वभाग को संदर्भत्त कयल। हाल के दनलें में यह पंजीकृत पार्टयल के खललफ इस तरह की दूसरी कार्रवाई थी जो **जन प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951** का उल्लंघन करते पाए गए हैं।

- इससे पहले चुनाव आयोग ने 87 गैर-मौजूद पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया था।
- चुनाव आयोग ने कहा कवचलाराधीन 111 दलों ने अधनियम की उन धाराओं का उल्लंघन कयल है जनलके लयल उनहें अपने संचार का पता और चुनाव आयोग को पते में कसल भी बदलाव को प्रसत्तुत करना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों से संबंधत्त प्रमुख बढु:

- **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP):**
 - या तो नए पंजीकृत दल या वे जो राज्यस्तरल दल बनने के लयलवधलनसभा या आम चुनावों में पर्याप्त प्रतशलत वोट हासलल नही कर पाए हैं, या जनलहोंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नही लडा है, उनहें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है।
 - ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी गई सभी सुवधलओं का लाभो नही मललता है।
- **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल:**
 - एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो राष्टरीयदल या राज्यस्तरल दल होगा यदवह कुछ नरलधरत्त शर्तों को पूरा करता है।
 - राज्य या राष्टरीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लयल एक दल को पछले चुनाव के दौरान राज्य वधलन सभा या लोकसभा में मतदान के वैध वोटों का एक नश्चत्त न्यूनतम प्रतशलत या नश्चत्त संख्या में सीटें हासलल करना होता है।
 - राजनीतिक दलों को आयोग दवारा दी गई मान्यता उनहें प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामत्त्व वाले टेलीवज़लन और रेडयल्लो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लयल समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच जैसे कुछ वशेषाधकारों को नरलधरत्त करती है।

राजनीतिक दलों की मान्यता के लयल शर्तें:

- **राष्टरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लयल शर्तें:**
 - कसल राजनीतिक दल को राष्टरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह नमलनलखत्तल अहरत्ताओं में से कसल एक को पूरा करता हो-
 - लोकसभा या राज्यों के वधलनसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतशलत मत प्राप्त करे तथा इसके अतरलकलत 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
 - लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2 प्रतशलत (11 सीट) सीटों पर जीत हासलल करता हो तथा ये सीटें कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से हों। या
 - यदलकोई दल चार या इससे अधकल राज्यों में राज्य स्तरल दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे।
- **राज्य स्तरल राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लयल शर्तें:**
 - कसल राजनीतिक दल को राज्य स्तरल दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह नमलनलखत्तल अहरत्ताओं में से कसल एक को पूरा करता हो-

- यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतता है या
- यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% हासिल करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है या
- दल ने राज्य की विधानसभा के लिये हुए चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, प्राप्त किया हो।
- यदि वह प्रत्येक 25 सीटों के लिये लोकसभा में 1 सीट या संबंधित राज्य से लोकसभा के लिये आम चुनाव में राज्य को आवंटित उसके किसी भी अंश के लिये जीतता है।
- यदि यह राज्य या राज्य की विधानसभा से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करता है। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)

परिचय:

- स्वतंत्र और नृषिपक्ष चुनाव का आयोजन लोकतंत्र का अनिश्चित-शून्य है। स्वतंत्र, नृषिपक्ष और नृषिपक्ष तरीके से चुनाव के संचालन को सुनिश्चित करने के लिये संविधान नरिमाताओं ने संविधान में भाग XV (अनुच्छेद 324-329) को शामिल किया और संसद को चुनावी प्रक्रिया को वनियमिति करने के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया।
- इस संदर्भ में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियमिति किया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950

मुख्य प्रावधान:

- नरिवाचन कक्षेत्रों के परसीमन के लिये प्रक्रियाएँ नरिधारति करता है।
- लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आबंटन का प्रावधान करता है।
- मतदाता सूचियों को तैयार करने और सीटों को भरने के तरीके के लिये प्रक्रिया नरिधारति करता है।
- मतदाताओं की योग्यता नरिधारति करता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951

मुख्य प्रावधान:

- यह चुनाव और उप-चुनावों के वास्तविक संचालन को नरिधारति करता है।
- यह चुनाव कराने के लिये प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है।
- यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
- यह सदनों की सदस्यता के लिये अर्हताओं और अयोग्यताओं को नरिदषिट करता है।
- इसमें भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान किये गए हैं।
- इसमें चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों को नपिटाने की प्रक्रिया नरिधारति की गई है।

यूपीएससी सविलि सेवा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि:

1. भारत में, उम्मीदवारों को तीन नरिवाचन कक्षेत्रों से एक लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है।
2. वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में, श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा कक्षेत्रों से चुनाव लड़ा।
3. मौजूदा नयिमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार एक लोकसभा चुनाव में कई नरिवाचन कक्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकीदल सभी नरिवाचन कक्षेत्रों में जीतने वाले नरिवाचन कक्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च वहन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(c) 1 और 3
(b) केवल 2
(d) 2 और 3

उत्तर:(b)

व्याख्या:

- वर्ष 1996 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक उम्मीदवार के लिये सीटों की संख्या को 'तीन' से 'दो' तक सीमित कर दिया जा सके। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- वर्ष 1991 में, श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा सीटों, सीकर, रोहतक और फरिजपुर से चुनाव लड़ा। **अतः कथन 2 सही है।**
- जब भी कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ता है और एक से अधिक जीतता है, तो उम्मीदवार को केवल एक सीट बरकरार रखनी होती है, जिससे बाकी सीटों पर उपचुनाव हो जाता है। यह परिणामी रकित के वरिद्ध उपचुनाव कराने के लिये सरकारी खजाने, सरकारी जनशक्ति और अन्य संसाधनों पर एक अपरहार्य वतित्तीय बोझ का परिणाम है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/registered-unrecognised-political-parties-1>

